उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या–86–कार्य/चौदह–पाकालि/2023–3 केबी/95 **दिनांकः 16 जनवरी, 2023**

प्रबन्ध निदेशक,
पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल
विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/
आगरा/मेरठ एवं केस्को–कानपुर।

विषयः– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण की प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्बन्धी कार्य स्वयं किये/कराये जाने वाले विद्युत आगणनों पर देय पर्यवेक्षण शुल्क 05 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–2279/चौबीस–पी–3–2022–(बैठक–238)/17 दिनांक 12.10.2022 **(छायाप्रति संलग्न)** का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग पाधिकरण की प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्बन्धी कार्य स्वयं किये/कराये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या–1152/चौबीस–पी–3–2022–(बैठक–238)/17 दिनांक 28.06.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर शासन के उक्त पत्र दिनांक 12.10.2022 में उल्लिखित व्यवस्था लागू की गयी है।

आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या–2279/चौबीस–पी–3–2022–(बैठक–238)/17 दिनांक 12.10.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या–86(।)–कार्य/चौदह–पाकालि/2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा), उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ को उनके पत्र सं0–2279/24–पी–3–2022 दिनांक 12.10.2022 के संदर्भ में।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, मध्यांचल/पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/आगरा/केस्को–कानपुर।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लांनिग/आई0टी0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. अपर सचिव (प्रथम/द्वितीय), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–1 एंव स्तर–2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
8. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष संख्या–407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट–www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
10. कट फाइल।

(पंकज कुमार)

संख्याः 2279 / चौबीस–पी–3–2022–(बैठक 238) / 17

MD, PCL | ... द्वारा ...
1876/CM/22
13.10.22
13/10/22
(एम० देवराज)
अध्यक्ष

Dir (Distt)

प्रेषक,

महेश कुमार गुप्ता,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग– 3

लखनऊ : दिनांकः 12 अक्टूबर , 2022

विषयः भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्बन्धी कार्य स्वयं किये/कराये जाने वाले विद्युत आगणनों पर देय पर्यवेक्षण शुल्क 05 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किये जाने के सम्बन्ध में।

5697/MDS/2022
14/10/2022

13/10/22
(पंकज कुमार)
प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि०

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1152/चौबीस–पी–3– 2022–(बैठक 238)/17 दिनांक 28.06.2022 के क्रम में प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या 2247–कार्य/चांदू–पाकालि/2022–3केवी/95 दिनांक 10.10.2022 द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्बन्धी कार्य स्वयं किये/कराये जाने वाले विद्युत आगणनों पर देय पर्यवेक्षण शुल्क 05 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की प्रदेश में चल रही परियोजनाओं के अन्तर्गत यूटिलिटी शिफ्टिंग सम्बन्धी कार्य स्वयं किये/कराये जाने हेतु शासन के पत्र संख्या 1152/चौबीस–पी–3– 2022–(बैठक 238)/17 दिनांक 28.06.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के स्थान पर निम्न व्यवस्था लागू की जाती है:–

1. 33/32 के0वी0, 132 के0वी0, 220 के0वी0, 400 के0वी0, 765 के0वी0 तक की लाईन शिफ्टिंग का कार्य एन0एच0ए0आई0 द्वारा उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अनुमोदित वेण्डर्स एवं सप्लायर्स के माध्यम से कराया जा सकेगा।
2. जो कार्य एन0एच0ए0आई0 द्वारा सम्पादित किय जायेंगे उसमें 2.5 प्रतिशत सुपरविजन चार्ज उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को एन0एच0ए0आई0 द्वारा देय होगा।
3. उपरोक्त प्रस्ताव सशर्त होगा कि एन0एच0ए0आई0 अपने शिफ्टिंग संबंधी कार्यो पर सुपरविजन चार्ज अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 से चार्ज करेगा।
4. जो कार्य उ0प्र0पा0ट्रा0का0लि0 एवं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 स्वयं करेगा, उसमें सुपरविजन चार्ज यथावत 15 प्रतिशत रहेगा।

2– उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उक्त व्यवस्था उ0प्र0ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि0 के साथ ही उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के समस्त वितरण निगमों पर भी लागू होगी। अतः आप से अनुरोध है कि कृपया तदनुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अधीक्षण अभि०–I/II/III/IV
अधिशासी अभि०–I/II/III/IV/V

भवदीय,

मुख्य अभियन्ता

(महेश कुमार गुप्ता)
अपर मुख्य सचिव।

CE CMU D
14.10.2022
3368
14.10.2022

CMU (D)
Diary/File No....9992
14.10.22

C.E.-II

संख्या एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।

2– अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण।

3– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सत्यवान सिंह)
उप सचिव।

d/rs2/go2022.docx